

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाध्यापक-मावि एवं समकक्ष स्तर के अधिकारी का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से इनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में एतद्वारा किया जाता है:-

क्र. स.	नाम कार्मिक	कहां से		कहां को	
		विद्यालय	जिला	विद्यालय	जिला
1	2	3	4	5	6
1	SHRI KISHAN BIJAWAT	GOVT SEC.SCH. KISHANPURA	JAIPUR	GOVT. SECONDARY SCHOOL KHUSAR (SANGANER) JAIPUR, SANGANER (08121205301)(BAGRU (SC))	JAIPUR
2	BHAWANI SHANKER JANGID	GOVT. SECONDARY SCHOOL, BABHAN	PALI	GOVT SEC SCHOOL SISARWADA, SOJAT (08200305601)(SOJAT (SC))	PALI
3	MANJU VYAS	Govt. Sec. School Kalijal	JODHPUR	GOVERNMENT SECONDARY SCHOOL, BHANDU KHURD	JODHPUR
4	BHARAT LAL MEENA	GOVT. SEC.SCH. KHAJURIYA	TONK	GOVT. SEC. SCH. NIMOLA LAMBA, NIMOLA, LAMBA	TONK

उक्त कार्मिक तत्काल स्थानान्तरित स्थान हेतु शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्त होकर संबंधित विद्यालय में कार्यग्रहण करते हुए शाला दर्पण से संबंधित समस्त प्रकार की प्रविष्टियों का इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करावे।



(नथमल डिडेल)

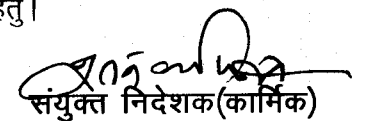
I.A.S.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/संस्था/बी-1/45001/प्र0अ0/स्थाना./2019/ दिनांक:- 29.09.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग जयपुर।
- 3 उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2)राजस्थान सरकार जयपुर।
- 4 सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा ।
- 5 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय-माध्यमिक।
- 7 सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी /नियंत्रण अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरित कार्मिक के संबंध में कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति का अपने स्तर पर प्रबोधन करते हुए तीन दिवस में आवश्यक रूप से कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावे।
- 8 सम्बन्धित कार्मिक/संस्था प्रधान को पालनार्थ।
- 9 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 10 रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक(कार्मिक)